

सेवा में

53737

29-7-22

श्रीमान जनसूचना अधिकारी

ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रैटर नोएडा गौठुबु नगर

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन -

श्रीमान जी कृपया मुझे निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें

- (1) यह कि धूम मानिकपुर ग्राम 2006 प्राधिकरण का अधिसूचित गांव होने के बाद क्या S.D.M दादरी द्वारा किसी कृषि योग्य भूमि को धारा -143 द्वारा अकृषि भूमि दर्ज किया जा सकता है?
- (2) यह कि धूम मानिकपुर भूमि स्वसरा सं०- 2835, 2834 S.D.M दादरी द्वारा धारा-143 दर्ज दि० 27/12/14 (आदेश) अकृषि भूमि कानूनी रूप से वैध है?
- (3) यह कि स्वसरा न०- 2834, 2835 दर्ज अकृषि भूमि आदेश दि० 27/12/14 में वैधरदाऊरा (बजाव) बनाने और चरने की अनुमति ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गयी है।
- (4) यदि हाँ तो कृपया अनुमति की आदेश कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें?

सहाय्य में आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10 रु का पोस्टल ऑर्डर न० 56F256098 भेज रहा हूँ कृपया मुझे जल्द से जल्द 15 दिन में सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

सलम:

पार्थ Singh

- (1) R.T.I. ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा
- (2) स्वतंत्रता का पत्र 2834 - 2835

सूर्यपाल सिंह रावल
 ग्राम- आभका
 डा०- दादरी
 गौठुबु नगर
 9654634656